कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com osc&lkbZV https://urban.rajasthan.gov.in/jcda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक/बैठक/2023/2381 दिनांक :: 13 जुलाई, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 13 जुलाई, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 23 मई 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **23 मई 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **23 मई 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 23 मई, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हटाये गये कियोस्कधारियों को उनके एवंज में दूसरे स्थान पर कियोस्क आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हटाये गये कियोस्कधारियों को उनके एवंज में दूसरे स्थान पर कियोस्क आवंटन के संबंध में कोई तथ्य नहीं छूपाया गया है।	भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हटाये गये कियोस्कधारियों को उनके एवंज में दूसरे स्थान पर कियोस्क आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वायत शासन विभाग जयपुर आदेश क्रमांक 4296 दिनांक 31/08/2000 के द्वारा जारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महामन्दिर रेलवे स्टेशन के बाहर कियोस्क बनाकर 2002 में आवंटित किये गये थे। उक्त आवंटन स्वायत शासन विभाग जयपुर आदेश क्रमांक 4296 दिनांक 31/08/2000 के अन्तर्गत किये गये थे। उक्त कियोस्कधारियों को वर्ष 2013 में भदवासिया रेलवे ऑवर ब्रिज निर्माण के दौरान हटवाया गया था। इस दौरान उक्त कियोस्कधारियों को अन्यतः विस्थापित करने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑवर ब्रिज के निचे नये कियोस्क निर्मित किये गये जिनकी कुल संख्या 26 है।

उक्त कियोस्कधारियों के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13/08/13 के प्रस्ताव संख्या 42 द्वारा 17 कियोस्कधारियों को प्राधिकरण द्वारा भदवासिया आर.ओ.बी के नीचे डीपो के बाहर नवनिर्मित कियोस्क आवंटन का निर्णय लिया गया था।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार तत्समय उक्त कियोस्कधारियों को कियोस्क नहीं आवंटित किये गये एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित आज भी 10 वर्षो से जर जर अवस्था में पडें है उक्त लोग आज भी कियोस्क कि मांग कर रहे है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भी परिवाद दर्ज है। उक्त प्रकरण के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 866 दिनांक 27/04/2023 के द्वारा स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया जिसके सन्दर्भ में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 26/05/2023 के द्वारा प्रतिउतर प्राप्त हुआ कि उक्त प्रकरण में प्राधिकरण कि बैठक 13/08/2013 एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश दिनांक 31/08/2000 के परिप्रेक्षा में जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। अतः उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में निवेदन है कि विकास प्राधिकरण द्वारा इन्ही कियोस्कधारियों को स्फिट करने के लिए नयी दुकानें बनाई गई जो पिछले 10 वर्षो से खाली है तथा दिनों दिन जर–जर होती जा रही है। यदि विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त दुकानों का उपयोग नहीं किया गया तो इन पर किया गया व्यय वयर्थ ही माना जायेगा।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण कि बैठक 13/08/2013 एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश दिनांक 31/08/2000 के परिप्रेक्ष्य में भदवासिया आर ओ बी निर्माण के दौरान रामा की प्याउ व महामन्दिर रेलवे स्टेशन के पास जिन कियोस्क धारियों को हटाया गया था, उनको जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भदवासिया आर ओ बी के नीचे बनाये गये कियोस्को में शिफ्ट करने हेतु प्रकरण विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाने हेतु वास्ते निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

1– समाचार–पत्र में 15 दिवस की सार्वजनिक सूचना इस आशय की जारी की जावे कि तत्समय हटाये गये कियोस्कधारी अपने मूल दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण में पुनः आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें,

2– प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का प्राधिकरण के रिकार्ड से सत्यापन किया जावे,

3– नये कियोस्क केवल मूल आवंटी को ही मूल दस्तावेजों के आधार पर ही आवंटित किया जावे। सबलेटी/किरायेदार/कब्जेधारी को आवंटन नहीं किया जावेगा,

4– कियोस्क का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा उसके पश्चात् अवधि बढाने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा,

5– उपरोक्त प्रकिया अपनाते हुए उपरोक्तानुसार कियोस्क आवंटन की समस्त कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त–6 को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एवंज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एवंज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एवंज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

मानसागर विकास कार्य के दौरान जिन लोगो का अतिक्रमण हटाया गया उन्हे पुर्नवासित करने के लिए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.4.2012 के प्रस्ताव संख्या 34 में उक्त लोगो को पण्डित दीन

दयाल उपाध्याय नगर योजना में आरक्षित दर पर समकक्ष भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। (निर्णय की प्रति संलग्न हैं)

उक्त निर्णय के पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया जिस संदर्भ नगरीय विकास विभाग पत्र क्रमांक प.3(232)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 27.11.2012 के द्वारा मानसागर मे निवास करने वाले कब्जेधारियो को पुनवार्सित हेतु पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में आरक्षित दर पर 110 व.ग भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। (स्वीकृति की प्रति संलग्न हैं)

उक्त स्वीकृती आने के पश्चात जेडीए के पत्र क्रमांक 23.9.2013 के द्वारा उपरोक्त 14 कब्जाधारियों को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु लॉटरी निकालने के लिए समिति बनाई गई। उक्त समिति में दिनांक 24.9.2013 को लॉटरी के द्वारा भूखण्ड आवंटन किया गया। (समिति व आवंटन की सूची संलग्न है।)

उक्त लॉटरी के पश्चात उक्त लोगो को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी किया गया जिसमें स्वायत शासन विभाग के पत्र क्रमांक भूमि/एफ 7(ड)/अभि–12/डीएलबी/12/24013 दिनांक 6.12.2012 का हवाला दिया गया है साथ ही पत्रावली में संलग्न बिना हस्ताक्षर का एक पत्र है जिसमें लिखा है कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग के दिनांक 9.1.2013 के जोधपुर प्रवास के दौरान मौखिक निर्देशानुसार उक्त कब्जाधारियो को आरक्षित दर में छूट करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। जिसकी अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। (आदेश दिनांक 6.6.2012 व पत्र प्रति संलग्न है।)

उपरोक्त स्वीकृति प्राप्त नही होने कारण उक्त कब्जेधारियों को भूखण्ड आवंटन एवं कब्जा देने की कार्यवाही नही की गई। जेडीए द्वारा जिन 14 लोगो की लॉटरी निकाली गई थी उसमें से 6 लोगो के अतिक्रमण दिनांक 5.5.2010 को हटाये गये थे तथा शेष लोगो के अतिक्रमण अभी हाल ही में निगम के द्वारा हटाये गये थे जिसके कारण लोगो के द्वारा भूखण्ड की मांग की जा रही हैं।

उक्त लोगो के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राशि जमा करवाने के सदंर्भ में इनको अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा अवगत करवाया कि तत्समय की आरक्षित दर अर्थात 2500/– रूपये की वर्गमीटर की दर से स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में लोगों के द्वारा सहमति प्रदान की गई की वो तत्समय की आरक्षित दर 2500/– व.मी. की दर से राशि जमा कराने को तैयार है।

इस संदर्भ में प्रकरण के विधिक परिक्षण निदेशक विधि महोदय द्वारा करवाया जाने पर उनकी राय प्राप्त हुई की उनका प्रकरण 10 वर्ष पुराना हैं। अतः कार्यकारी समिति की अनुमोदन के पश्चात ही भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उक्त विधिक राय के संदर्भ में प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.3.2023 के प्रस्ताव संख्या 9 में रखा गया जिसमें समिति द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किया जाये। उक्त निर्णय के संदर्भ में लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई कि कार्याकारी समिति के निर्णय अनुसार हम लोग वर्तमान आरक्षित दर जमा कराने मे सक्षम नही हैं उनके उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पत्र क्रमांक 860 दिनांक 25.4.2023 के द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया कि उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार तत्समय की आरक्षित दर पर आवंटन किया जाये या कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.3.2023 के निर्णय अनुसार वर्तमान आरक्षित दर से आवटन किया जावे। इस संदर्भ में नगरीय विकास विभाग पत्र दिनांक 26.6.2023 के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.3.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान आरक्षित दर से अर्थात 6500/– रूपये प्रति व.मी. की दर से भूखण्ड आवंटन किया जाये।

उक्त स्वीकृति के पश्चात आंवटियो को राशि जमा कराने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जहां से हम लोगों को हटाया गया है वह एक कच्ची बस्ती है एवं नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक 24013 दिनांक 6.12.2012 के अनुसार कच्ची बस्ती के लोगो को अन्यत्र पुर्नस्थापित किये जाने की दशा में नवीन स्थल की आरक्षित दरँ की 10 प्रतिशत राशि वसुलनीय होगी। इसके साथ वर्तमान में प्रशासन शहरो के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा राजकीय भूमि पर बसे हुए लोगो को आरक्षित दर के 10 प्रतिशत पर नियमन करने का प्रावधान नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 1.7. 2022 के द्वारा प्रावधान किया गया है। कच्ची बस्ती के संदर्भ में स्वायत शासन विभाग द्वारा 2949 दिनांक 25.4.2023 के द्वारा कच्ची बस्ती का नियमन का प्रावधन किया जिसके अनुसार अधिकतम 40/– प्रति व.मी. का नियमन की दर है। राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशों के बावजूद भी हम गरीब लोगों से आरक्षित दर से राशि जमा करवाने का कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः राज्य सरकार के उपरोक्त। निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.3.2023 के प्रस्ताव संख्या 9 के द्वारा लिये गये निर्णय के पुनः विचार करते हुए हम गरीब लोगो को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त क्षेत्र की वर्तमान आरक्षित दर की 10 प्रतिशत पर भूखण्ड आवंटन करने की कृपा करावे।

अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6.12.12 के संदर्भ में प्रकरण पर पुनः विचार करने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 24013 दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए मानसागर पार्क के विकास के दौरान विस्थापित किये गये व्यक्तियों को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना में 110 वर्ग गज के भूखण्ड उस क्षेत्र की आरक्षित दर 6,500/– रूपये प्रति वर्ग मीटर के 10 प्रतिशत अर्थात् 650/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में नवीन वस्त्र व्यापार योजना में आवंटन की दर में 25 प्रतिशत की रियायत देने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में नवीन वस्त्र व्यापार योजना में आवंटन की दर में 25 प्रतिशत की रियायत देने बाबत।	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में नवीन वस्त्र व्यापार योजना में आवंटन की दर में 25 प्रतिशत की रियायत की अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में वस्त्र व्यापारियों के लिए नवीन वस्त्र व्यापार योजना प्रस्तावित की है। जिसकी आरक्षित दर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.4.2023 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा 24000/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारित करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में आरक्षित दर में 50 प्रतिशत दर की रियायत करने का मांग पूर्व में जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ द्वारा की गई थी जिसके संदर्भ राज्यमंत्री महोदय श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी द्वारा भी 9.3.2023 को पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त पत्र के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र क्रमांक 850 दिनांक 16.3.2023 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को पत्र लिखा गया था जिसके संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.4.2023 के

द्वारा जवाब प्राप्त हुआ कि रियायात दिये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारिता की बैठक में लिया जाकर प्रस्ताव विभाग को भिजवाने का श्रम करे।

श्रीमान जी वस्त्र व्यापार संघ, जोधपुर के साथ रियायत के संबंध में चर्चा के पश्चात व्यापार संघ के महासचिव श्री सुनिल झंवर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरिक्षत दर में 25 प्रतिशत रियायत की मांग की एवं योजना का नामकरण "भारत कपड़ा मण्डी करने की मांग की है।

अतः वस्त्र व्यापर संघ के लिये प्रस्तावित योजना का नामकरण " भारत कपड़ा मण्डी" किया जाना एवं भूखण्ड आवंटन की दर आरक्षित दर की 75 प्रतिशत अर्थात 18000 प्रति वर्गमीटर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने के निर्णय हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वस्त्र व्यापार संघ की मांग के अनुसार नवीन वस्त्र व्यापार योजना में पंजीकृत वस्त्र व्यापारियों को उक्त योजना की आरक्षित दर 24,000/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की 75 प्रतिशत अर्थात् 18000/– रूपये प्रति वर्ग मीटर पर भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में प्रस्तावित Farm House, Eco-friendly Housing Amusement Park & Resort योजना मे निलामी द्वारा भूखण्ड बैचान के संदर्भ निर्णय बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में प्रस्तावित Farm House, Eco-friendly Housing Amusement Park & Resort योजना में निलामी द्वारा भूखण्ड बैचान के संदर्भ कोई तथ्य नही छिपाया गया हैं।	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में प्रस्तावित Farm House, Eco-friendly Housing Amusement Park & Resort योजना में निलामी द्वारा भूखण्ड बैचान के संदर्भ निर्णयकी अभिषांशा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नियम 39 व 40 राजस्थान नगरीय भूमि निस्पादन नियम –1974 के नियम –8 (i) व (ii), नियम–9 नियम–10 एवं नियम–15 अन्तर्गत राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में प्रस्तावित Farm House, Eco-friendly Housing Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर पर अनुमोदित किया जा चुका हैं।

उक्त योजना में स्थित भूखण्डो विवरण इस प्रकार हैः–

क्र स	भूखण्डो के प्रकार	भूखण्डो की संख्या
1	Resort	01
2	Amusement Park	01
3	Eco-friendly House	34
4	Farm House	61
	Total Plots	97

उक्त योजना का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 26 के द्वारा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना में कोर्नर भूखण्डो को छोड़कर शेष भूखण्ड लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसका अनुमोदन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 17.10.2022 के प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा किया गया। प्राधिकरण की बैठक के निर्णय के पश्चात प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र क्रमांक 412 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। जिस संदर्भ में नगरीय विकास विभाग पत्र दिनांक 2.3.2023 के द्वारा प्रतियुत्त प्राप्त हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने नियम–17 भूमि निस्पादन नियम –1974 का हवाला देते हुए गैर आवासीय योजना का लॉटरी द्वारा निस्तारण की स्वीकृति चाही गई है जबकि भूमि निस्पादन नियम –1974 नियम–15 में गैर आवासीय योजनाओ का निलामी द्वारा निस्तारण का प्रावधान हैं। अतः औचित्य की टिप्पणी सहित प्रस्ताव भिजवायें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्रस्तावित उक्त योजना के अन्दर से वर्तमान में आई ओ सी एल बोटलिंग प्लांट के लिए पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया हैं जो रिंग रोड से लेकर उक्त योजना मे से होते हुए बोटलिंग प्लांट तक जायेगा एवं उक्त पहुँच मार्ग की चौडाई 60 फीट रखी गई जिसका निर्माण भी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सडक बनने पर प्राधिकरण की उक्त योजना को रिंग रोड़ से पहूँच बहूत सुगम हो जायेगा तथा योजना की लोकेशन भी बहूत अच्छी हो जायेगी ऐसी स्थिति में उक्त योजना के भूखण्डो को नगरीय भूमि निस्पादन के नियम–1974 एवं सशोधित असूचना 4.1.2021 के नियम 15 के अनुसार निलामी द्वारा भूखण्डो के निस्तारण का प्रकरण समिति के समक्ष विचार विर्मश निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त योजना में भूखण्डों का आवंटन नीलामी द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: विवेक विहार योजना में अवार्ड संख्या 02 ग्राम कुड़ी भगतासनी में आवंटित भूखण्ड डी–597 रकबा 111.11 व.ग. के एवज में नवीन भूखण्ड आंवटन करने बाबत्।

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली आवासीय योजना विवेक विहार आवासीय योजना के अवार्ड संख्या 02 के खसरा संख्या 147/1 कुल रकबा 2 बीघा भूमि अन्तिम अवार्ड सूची में श्री बंशीलाल पुत्र श्री किशनाराम मेघवाल का नाम दर्ज है। उक्त अवार्ड संख्या 02 में तीन भूखण्ड (एफ–25 रकबा 350 व.ग., आई–285 रकबा 311.11 व.ग., डी–597 रकबा 111.11 व.ग.) आवंटित किये गये थे जिनमें से.(एफ–25 रकबा 350 व.ग., आई–285 रकबा 311.11 व.ग) की लीजडीड दिनांक 15.01.2014 को जारी की जा चुकी है। परन्तु डी–597 रकबा 111.11 व.ग. में पत्रावली के पैरा 12 के अनुसार संबंधित जे.ई.एन. की मौका रिपोर्ट के तहत मौके पर उक्त भूखण्ड का नाप 233.33 व.ग. पाया गया है। पैरा 12 में वर्णित मौका रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए मौके पर डी–597 रकबा 111.11 व.ग. के स्थान पर 233.33 व.ग. पाया गया है। अवार्डी ने भी पत्र द्वारा सूचित किया कि उसे आवंटित भूखण्ड 111.11 व.ग. है। जबकि मौके पर उक्त भूखण्ड का माप 233.33 व.ग. आता है।

उक्त भूखण्ड संख्या डी–597 विवेक विहार योजना का क्षेत्रफल 233.33 व.ग. मौके पर तथा कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदित मानचित्र में भी भूखण्ड का नाप 35' x 60' ही अंकित है। प्राधिकरण कार्यालय की एन.आई.सी. शाखा द्वारा प्राप्त रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार नजदीकतम सेक्टर एच में रिक्त निम्न भूखण्डों की कनिष्ठ अभियंता द्वारा सूची पेश की।

(एच– 746, 762, 773, 916, 995, 1016, 1033, 1034 प्रत्येक का रकबा 111.11 व.ग.)

अतः अवार्डी श्री बंशीलाल पुत्र श्री किशनाराम मेघवाल को उक्त भूखण्ड डी–597 रकबा 111.11 व.ग. के स्थान पर अन्यत्र 111.11 व.ग. का भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते विवेक विहार योजना के सेक्टर एच में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड़ों में से लॉटरी के आधार पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 209, 233 सेक्टर ए को शिफ्ट करने के संबंध में।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 209, 233 सेक्टर ए सड़क से प्रभावित होने के कारण समान माप के रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी 52, बी 59, बी 65 एव बी 86 में से आवंटि से सहमति प्राप्त कर भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटी को पूर्व में भूखण्ड संख्या 161, 231 सेक्टर ए में आवंटित किया गया था, उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान की प्रस्तावित 160 फीट रोड से प्रभावित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2022 को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार नवीन सृजित भूखण्डों की लॉटरी ऑन लाईन माध्यम से निकाली गई, जिसमें आवंटी को पूर्व में रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 209, 233 आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड भी मास्टर प्लान की प्रस्तावित 160 फीट रोड से प्रभावित होने के कारण प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में संशोधित मानचित्र अनुसार रिक्त भूखण्ड संख्या बी 52, बी 59, बी 65 एव बी 86 में से आवंटी से सहमति प्राप्त कर भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–52, बी–59, बी–65 एवं 86 में से लॉटरी के आधार पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भूखण्ड संख्या 99, सेक्टर जी, विवेक विहार योजना में दोहरा आवंटन होने के कारण आवंटी को भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	भूखण्ड़ संख्या 99, सेक्टर जी, विवेक विहार योजना में दोहरा आवंटन होने के कारण आवंटी को भूखण्ड दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।	रिक्त भूखण्ड संख्या जी–99 का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में आवंटी श्री मोहनलाल पुत्र देवाराम को दिनांक 28.09.2011 को लॉटरी में आवंटन किया गया। तत्पश्चात अवार्ड संख्या 16/2 के अवार्डी श्री नेमीचन्द पुत्र श्री सुराराम को भूखण्ड संख्या जी–99 बनाप 41.80 वर्ग.मी लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाकर लीजडीड

दिनांक 17.10.2012 को जारी की गई। इस प्रकार उक्त भूखण्ड का अवार्डी के साथ आवंटी को दोहरे आवंटन की स्थिति उत्पन्न होने पर उक्त भूखण्ड के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आवंटी के पक्ष में ही भूखण्ड बहाल रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय उपरान्त भूखण्ड संख्या जी–99 दोहरे आवंटन से प्रभावित होने के कारण अवार्डी श्री नेमीचन्द का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया। उक्त भूखण्ड के स्थान पर अवार्डी श्री नेमीचन्द को दिनांक 21.09.2021 को नवीन भूखण्ड संख्या एच–692 बनाप 50 वर्ग.गज का आवंटन जारी किया जाकर लीज डीड जारी कर दी गई।

इस पर अवार्डी द्वारा सहमति से निरस्त किये गये भूखण्ड जी–99 बनाप 50 वर्ग.गज के मूल दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवा दिये गये है एवं मौके से कनिष्ठ अभियंता द्वारा पूर्व में आवंटित इस भूखण्ड का कब्जा अवार्डी से प्राप्त कर लिया गया है। अब इस भूखण्ड से संबंधित कोई दोहरे आवंटन संबंधी विवाद शेष नहीं है। अतः आवंटी को भूखण्ड संख्या जी –99 बनाप 41.80 वर्ग.मी का आवंटन पत्र जारी किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 10 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Uchiyarda in Jodhpur, के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पूर्व मे स्वीकृत किये गये अतिरिक्त एवं अधिक कार्य की कुल स्वीकृत राशि को RTPP नियमानुसार पृथक रूप से अतिरिक्त एव अधिक कार्य की राशि के रूप मे विभाजित कर स्वीकृति जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्र्तगत निवेदन है कि जोधपुर शहर की जोजरी नदी में सालभर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2020–21 के बिन्दु सं 153 के तहत तीन STP निर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी। इसी कम में ग्राम उचियाराड़ा क्षेत्र में 10 MLD क्षमता के सीवरेज परिशोधन सयंत्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्राधिकरण की दिनांक 12.11.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में Turn-key Basis पर उचियाराडा में **10 MLD (SBR)** सीवरेज परिशोधन संयत्र के निर्माण हेतु राशि रू 1700.00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश M/S Standard Infrateach India Pvt. Ltd. को रू 1990.00 लाख (निर्माण लागत राशि रू 1390.00 लाख एंव संचालन व रख–रखाव राशि रू 600.00 लाख) का प्रदान किया गया था।

उक्त प्रदान किए गए कार्यादेश राशि अनुसार प्राधिकरण की दिनांक 09.04.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में Turn-key Basis पर उचियाडा में **10 MLD (SBR)** सीवरेज परिशोधन संयत्र हेतु राशि रू 1990.00 लाख की कार्यादेश राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई थी। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ करने की एंव पूर्ण करने की नियत तिथि. 30.03.2021 व 29.03.2023 थी। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

प्राधिकरण की दिनांक 29.03.2023 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे सीवरेज परिशोधन संयत्र के निर्माण को पूर्ण करने हेतु आई बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत डिजाईन एवं उपब्लध भूमि अनुसार सम्पादित कराने के लिए राशि रू 1,44,12,525.88 के Extra/Excess एवं राशि रू 2134.13.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई ।

बिड डॉक्यूमेन्ट के Section- I Instruction to Bidders के क्लॉज – 6 Award of Contract के बिन्दु सं. 6.1 मे अंकित विवरण निम्नानुसार है।

6.1	Procuing Entity's Right to vary Quantities	6.1.1	If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidder document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entited for any claim or compensation expect otherwise provided in the Bidder Document.
		6.1.2	Order for additional quantity of an item of the Works upto 50 Percent of the orignal quantity of that item in the Bill of Quantities and for extra items not provided for in the Bill of Quantities may be given but the amount of the additional quantities and extra items, taken together, shall not exceed 50 percent of the Contract Price.

पूर्व मे प्राधिकरण की दिनांक 29.03.2023 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक राशि रू 1,44,12,525.88 /– के Extra/Excess एवं राशि रू 2134.13 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती जारी की जा चुकी है। चूंकि पूर्व मे स्वीकृत किये गये कुल अतिरिक्त एवं अधिक कार्य की राशि का पृथक रूप से विभाजन नही किया गया था अतः अतिरिक्त कार्य की राशि रू 69,45,577. 50 (Annexure-1) जो कि कार्यादेश राशि का 4.99 प्रतिशत एवं अधिक कार्य की राशि रू 74,66,948,38 (Annexure-2) जो कि कार्यादेश राशि का 5.37 प्रतिशत है, की स्वीकृति बाबत् पत्रावली अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 15 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Vivek Vihar Yojna in Jodhpur,के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पूर्व मे स्वीकृत किये गये अतिरिक्त एवं अधिक कार्य की कुल स्वीकृत राशि को RTPP नियमानुसार पृथक रूप से अतिरिक्त एव अधिक कार्य की राशि के रूप मे विभाजित कर स्वीकृति जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्र्तगत निवेदन है कि जोधपुर शहर की जोजरी नदी में सालभर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2020–21 के बिन्दु सं 153 के तहत तीन STPनिर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी। इसी कम में विवेक विहार योजना में 15 MLD क्षमता के सीवरेज परिशोधन सयंत्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्राधिकरण की दिनांक 12.11.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में Turn-key Basis पर विवेक विहार योजनामें SBR -15MLD सीवरेज परिशोधन संयत्र के निर्माण हेतु राशि रू 2240. 00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश M/S Standard Infrateach India Pvt. Ltd. को रू2520.00लाख (निर्माण लागत राशि रू 1800.00 लाख एंव संचालन व रख–रखाव 720.00 लाख) का प्रदान किया गया था।उक्त प्रदान किए गए कार्यादेश राशि अनुसार प्राधिकरण की दिनांक 09.04.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में Turn-key Basis पर विवेक विहार योजना में SBR-15 MLDसीवरेज परिशोधन संयत्र हेतु राशि रू 2520.00 लाख

की कार्यादेश राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई थी। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारंभ करने की एंव पूर्ण करने की नियत तिथि. 30.03.2021 व 29.03.2023 है।

प्राधिकरण की दिनांक 29.03.2023 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे सीवरेज परिशोधन संयत्र के निर्माण को पूर्ण करने हेतु आई बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत डिजाईन एवं उपलब्ध भूमि अनुसार सम्पादित कराने के लिए राशि रू 2,49,77,480.22 के Extra/Excess एवं राशि रू 2769.78 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदित की गई ।

बिड डॉक्यूमेन्ट के Section- I Instruction to Bidders के क्लॉज – 6 Award of Contract के बिन्दु सं. 6.1 मे अंकित विवरण निम्नानुसार है।

6.1	Procuing Entity's Right to vary Quantities	6.1.1	If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidder document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entited for any claim or compensation expect otherwise provided in the Bidder Document.
		6.1.2	Order for additional quantity of an item of the Works upto 50 Percent of the orignal quantity of that item in the Bill of Quantities and for extra items not provided for in the Bill of Quantities may be given but the amount of the additional quantities and extra items, taken together, shall not exceed 50 percent of the Contract Price.

पूर्व मे प्राधिकरण की दिनांक 29.03.2023 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक राशि रू 2,49,77,480.22/–के Extra/Excess एवं राशि रू 2769.78 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती जारी की जा चुकी है। चूंकि पूर्व मे स्वीकृत किये गये कुल अतिरिक्त एवं अधिक कार्य की राशि का पृथक रूप से विभाजन नही किया गया था अतः अतिरिक्त कार्य की राशि रू 89,72,966. 22 (Annexure-1) जो कि कार्यादेश राशि का 4.98 प्रतिशत एवं अधिक कार्य की राशि रू 160,04,514.00 (Annexure-2) जो कि कार्यादेश राशि का 8.89 प्रतिशत है कि स्वीकृति बाबत् पत्रावली अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **"Construction of Field Activities & Courts at Amritlal Gehlot Stadium Chainpura "** की लागत राशि रूपये 1075.87 लाख, की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को छह भागों **(i) Construction of Field Activities & Courts at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 29.99 Lacs, (ii) Supply and Fixing for Kids Play Area & Open Gym Equipment at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 23.67 Lacs, (iii)** अमृतलाल स्टेडियम परिसर में पवेलियन, चार दीवारी, शौचालय, चौकीदार कक्ष, जोगिंग ट्रैक एवं योगा इनडोर जिम व मल्टी स्टोरी हॉल का निर्माण कार्य- **Rs. 168.58 Lacs, (iv) Construction of Synthetic Athletic Track & Skating Court at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura-Rs. 630.65 Lacs, (v)** अमृतलाल स्टेडियम परिसर में ड्रेनेज सिस्टम, उपकरण एवं पेड़ पौधे लगाने का कार्य- **Rs. 55.40 Lacs, (vi) Development of Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura (Electrical and other work)-Rs. 139.58 Lacs,** में कार्यकारी समिति में **split** किये जाने का अनुमोदन बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1075.87 को छह भागों (i) Construction of Field Activities & Courts at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 29.99 Lacs, (ii) Supply and Fixing for Kids Play Area & Open Gym Equipment at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 23.67 Lacs, (iii) अमृतलाल स्टेडियम परिसर में पवेलियन, चार दीवारी, शौचालय, चौकीदार कक्ष, जोगिंग ट्रैक एवं योगा इनडोर जिम व मल्टी स्टोरी हॉल का निर्माण कार्य- Rs. 168.58 Lacs, (iv) Construction of Synthetic Athletic Track & Skating Court at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura-Rs. 630.65 Lacs, (v) अमृतलाल स्टेडियम परिसर में ड्रेनेज सिस्टम, उपकरण एवं पेड़ पौधे लगाने का कार्य- Rs. 55.40 Lacs, (vi) Development of Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura (Electrical and other work)-Rs. 139.58 Lacs, कार्यकारी समिति में split किये जाने का अनुमोदन करवाना।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के अमृतलाल गहलोत स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स रूप में विकसित किये जाने के क्रम में जिला कलक्टर महोदय द्वारा विकास कार्यों के संबंध में ली गयी मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 4073313 दिनांक 18.06.2023 को जॉब नं 80/2023–24 द्वारा राशि रूपये 1075.87 लाख की जारी की गयी।

उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1075.87 लाख को छह भागों (i) Construction of Field Activities & Courts at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 29.99 Lacs, (ii) Supply and Fixing for Kids Play Area & Open Gym Equipment at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura- Rs. 23.67 Lacs, (iii) अमृतलाल स्टेडियम परिसर में पवेलियन, चार दीवारी, शौचालय, चौकीदार कक्ष, जोगिंग ट्रैक एवं योगा इनडोर जिम व मल्टी स्टोरी हॉल का निर्माण कार्य- Rs. 168.58 Lacs, (iv) Construction of Synthetic Athletic Track & Skating Court at Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura-Rs. 630.65 Lacs, (v) अमृतलाल स्टेडियम परिसर में ड्रेनेज सिस्टम, उपकरण एवं पेड़ पौधे लगाने का कार्य- Rs. 55.40 Lacs, (vi) Development of Amritlal Gehlot Stadium, Chainpura (Electrical and other work)-Rs. 139.58 Lacs, में कार्यकारी समिति में split किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: **"Construction of New Proposed Road from Ramdwara to Rawti Ghoda Ghati Bypass "** की लागत राशि रूपये 1890.00 लाख, की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को दो भागों (i) **Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati bypass (Phase-I) Rs. 960.00 Lacs, (ii) Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati bypass (Phase-II)**
Rs. 930.00 Lacs, में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में **A&F Splitt** किये जाने बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/110959)	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1890.00 को दो भागों (i) Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati bypass (Phase-I) Rs. 960.00 Lacs, (ii) Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati by pass (Phase-II) Rs. 930.00 Lacs, कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में A&F Splitt किये बाबत्।

उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 1570 दिनांक 24.11.2022 को जॉब नं 266/2022–23 द्वारा राशि रूपये 1890.00 लाख की जारी की गयी। जिसका अनुमोदन प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 16 दिसंबर के प्रस्ताव संख्या–13 के द्वारा किया जा चुका है।

चूंकि उक्त बाईपास निर्माण हेतु वन भूमि तथा खातेदारी भूमि व अन्य भू–स्वामित्व की भूमि आ रही है। जिस हेतु बाईपास निर्माण में आ रही वन भूमि प्रत्यावर्तन व झील सीमांकन में आ रही विभिन्न खातेदारी भूमि के मुआवजे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा उक्त बाईपास निर्माण की निविदा जारी करने हेतु निर्देशित किया है, चूंकि बाईपास निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति जल्द मिलने की संभावना है अतः इसी क्रम में वन भूमि वाले हिस्से के सड़क निर्माण की पृथक् निविदा जारी की जानी है। अतः कार्य "Construction of New Proposed Road from Ramdwara to Rawti Ghoda Ghati Bypass" को दो भागों में split किया जाना प्रस्तावित ळें

उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1890.00 लाख को दो भागों (i) Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati bypass (Phase-I) Rs. 960.00 Lacs, (ii) Construction of New Proposed road from Ramdwara to Rawti ghoda ghati bypass (Phase-II) Rs. 930.00 Lacs, में कार्यकारी समिति में split किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2023/ भाग–14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 53 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा) 13/7/23
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2382-2401 दिनांक :: 13 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ....

(जय नारायण मीणा) 13/7/23
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13 जुलाई, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती आंकाक्षा बैरवा, सहायक कलक्टर, जोधपुर
2. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री कमल सिंह मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री भागीरथ राम, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर–उत्तर
6. श्री महेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
7. श्रीमती अंशु जैन, सहायक आयुक्त (यातायात) यातायात पुलिस, जोधपुर
8. श्री रामपाल जमेरिया, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री महैन्द्र चोधरी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000

0